न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 08/2021 (2021/15)

प्रार्थी :–

रामुराम पुत्र मांगीलाल, जाति मेघवाल, निवासी – ग्राम मणाई, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत इन्द्रोका, जरिये सरपंच, तहसील व जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत मणाई, जरिये सरपंच, तहसील व जिला जोधपुर।
3. पप्पुराम पुत्र प्रेमाराम, जाति लवार, निवासी लवारों का बास, मणाई, तहसील व जिला जोधपुर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश एवं कार्यवाही ग्राम पंचायत इन्द्रोका जो मिसल संख्या 49 दिनांक 20.02.2013 में कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.06.013 को पट्टा संख्या 03 अप्रार्थी संख्या 03 के नाम से गांव मणाई की आबादी भूमि में जारी किया गया।

पंचायत निगरानी संख्या : 09/2021 (2021/16)

प्रार्थी :–

रामुराम पुत्र मांगीलाल, जाति मेघवाल, निवासी – ग्राम मणाई, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत इन्द्रोका, जरिये सरपंच, तहसील व जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत मणाई, जरिये सरपंच, तहसील व जिला जोधपुर।
3. आसुराम पुत्र सुमाराम, जाति लवार, निवासी लवारों का बास, मणाई, तहसील व जिला जोधपुर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश एवं कार्यवाही ग्राम पंचायत इन्द्रोका जो मिसल संख्या 50 दिनांक 20.02.2013 में कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.06.013 को पट्टा संख्या 04 अप्रार्थी संख्या 03 के नाम से गांव मणाई की आबादी भूमि में जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:22 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत निगरानी संख्या : 10/2021 (2021/17)

<u>प्रार्थी</u> :–

रामुराम पुत्र मांगीलाल, जाति मेघवाल, निवासी – ग्राम मणाई, तहसील व जिला जोधपुर।

<u>बनाम</u>

<u>अप्रार्थीगण</u> :–

1. ग्राम पंचायत इन्द्रोका, जरिये सरपंच, तहसील व जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत मणाई, जरिये सरपंच, तहसील व जिला जोधपुर।
3. कानाराम पुत्र मुलतानराम, जाति लवार, निवासी लवारों का बास, मणाई, तहसील व जिला जोधपुर।

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश एवं कार्यवाही ग्राम पंचायत इन्द्रोका जो मिसल संख्या 52 दिनांक 20.02.2013 में कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.06.013 को पट्टा संख्या 05 अप्रार्थी संख्या 03 के नाम से गांव मणाई की आबादी भूमि में जारी किया गया।</u>

पंचायत निगरानी संख्या : 11/2021 (2021/18)

<u>प्रार्थी</u> :–

रामुराम पुत्र मांगीलाल, जाति मेघवाल, निवासी – ग्राम मणाई, तहसील व जिला जोधपुर।

<u>बनाम</u>

<u>अप्रार्थीगण</u> :–

1. ग्राम पंचायत इन्द्रोका, जरिये सरपंच, तहसील व जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत मणाई, जरिये सरपंच, तहसील व जिला जोधपुर।
3. पिनूदेवी पत्नी अनिल, जाति लवार, निवासी लवारों का बास, मणाई, तहसील व जिला जोधपुर।

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश एवं कार्यवाही ग्राम पंचायत इन्द्रोका जो मिसल संख्या 47 दिनांक 20.02.2013 में कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.06.013 को पट्टा संख्या 06 अप्रार्थी संख्या 03 के नाम से गांव मणाई की आबादी भूमि में जारी किया गया।</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:22 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत निगरानी संख्या : 12/2021 (2021/19)

<u>प्रार्थी</u> :–

रामुराम पुत्र मांगीलाल, जाति मेघवाल, निवासी – ग्राम मणाई, तहसील व जिला जोधपुर।

<u>बनाम</u>

<u>अप्रार्थीगण</u> :–

1. ग्राम पंचायत इन्द्रोका, जरिये सरपंच, तहसील व जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत मणाई, जरिये सरपंच, तहसील व जिला जोधपुर।
3. ईश्वरराम पुत्र रामुराम, जाति लवार, निवासी लवारों का बास, मणाई, तहसील व जिला जोधपुर।

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश एवं कार्यवाही ग्राम पंचायत इन्द्रोका जो मिसल संख्या 48 दिनांक 20.02.2013 में कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.06.013 को पट्टा संख्या 07 अप्रार्थी संख्या 03 के नाम से गांव मणाई की आबादी भूमि में जारी किया गया।</u>

पंचायत निगरानी संख्या : 13/2021 (2021/20)

<u>प्रार्थी</u> :–

रामुराम पुत्र मांगीलाल, जाति मेघवाल, निवासी – ग्राम मणाई, तहसील व जिला जोधपुर।

<u>बनाम</u>

<u>अप्रार्थीगण</u> :–

1. ग्राम पंचायत इन्द्रोका, जरिये सरपंच, तहसील व जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत मणाई, जरिये सरपंच, तहसील व जिला जोधपुर।
3. भंवरलाल पुत्र तुलछाराम, जाति लवार, निवासी लवारों का बास, मणाई, तहसील व जिला जोधपुर।

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश एवं कार्यवाही ग्राम पंचायत इन्द्रोका जो मिसल संख्या 56 दिनांक 20.02.2013 में कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.06.013 को पट्टा संख्या 08 अप्रार्थी संख्या 03 के नाम से गांव मणाई की आबादी भूमि में जारी किया गया।</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:22 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :

1. अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार (प्रार्थी)।
2. अभिभाषक श्री गोपालसिंह राजपुरोहित (अप्रार्थी संख्या 03)

आदेश दिनांक :–28.10.2021

प्रस्तुत उपरोक्त पंचायत निगरानियाँ अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत इन्द्रोका द्वारा मिसल संख्या 49 दिनांक 20.02.2013 में कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.06.013 को पट्टा संख्या 03, मिसल संख्या 50 दिनांक 20.02.2013 में कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.06.013 को पट्टा संख्या 04, मिसल संख्या 52 दिनांक 20.02.2013 में कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.06.013 को पट्टा संख्या 05, मिसल संख्या 47 दिनांक 20.02.2013 में कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.06.013 को पट्टा संख्या 06, मिसल संख्या 48 दिनांक 20.02.2013 में कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.06.013 को पट्टा संख्या 07 तथा मिसल संख्या 56 दिनांक 20.02.2013 में कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.06.013 को पट्टा संख्या 08 अप्रार्थीगण संख्या 3 को जारी किये गये है। उक्त निगरानियों में कानूनी बिन्दु एवं तथ्य एक समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है।

निगरानीकर्ता की ओर से उक्त पंचायत निगरानियाँ इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख भी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपालसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया। पंचायत निगरानियों में मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत इन्द्रोका से प्राप्त होने के पश्चात् उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस दिनांक 18.10.2021 को सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार ने अपनी बहस में बतलाया कि गांव मणाई में आबादी भूमि खसरा नं0 59 में 10 बीघा आबादी भूमि ग्राम पंचायत के नाम से दर्ज है। पूर्व में ग्राम मणाई एवं इन्द्रोका की एक ही ग्राम पंचायत इन्द्रोका थी। हाल ही में ग्राम पंचायत मणाई का गठन किया गया व चुनाव होकर सरपंच का निर्वाचन हुआ। ग्राम पंचायत मणाई के पंचायत भवन के निर्माण हेतु उपरोक्त 10 बीघा भूमि ही उपयुक्त होने से इस पर पंचायत भवन के निर्माण की योजना बनाई गई तो अप्रार्थी संख्या 03 ने आकर इसका विरोध किया तथा बताया कि उनके नाम से पट्टे जारी किये गये है। भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है। अवसर देखकर अप्रार्थी संख्या 03 ने खाली भूमि पर लकड़ीया रोप कर कच्चे छप्पर बनाना शुरू किये। इसके पश्चात प्रार्थी व गांव के लोगों ने ग्राम पंचायत इन्द्रोका से अप्रार्थी के पट्टे बाबत् जानकारी चाही तो पट्टे व मिसल की नकल दिनांक 16.02.2021 को ग्राम पंचायत से प्राप्त की।

बहस में आगे बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 03 के पास पहले से ही गांव मणाई में लोहारों के बास में सभी सुविधाओं सहित रहवासीय मकान उपलब्ध है तथा कृषि कार्य करता है। वह किसी प्रकार का [illegible] लोहार का कार्य नहीं करता है

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:22 IST
Reason: SelfAttested

बल्कि उसका परिवार पिछले 60 वर्षों से स्थाई रूप से गांव मणाई में लोहारों के बास में निवास करता है। अप्रार्थी संख्या 03 ने अपने आपको गाडोलिया लोहार बताकर राज्य सरकार के परिपत्र का नाजायज फायदा उठाने के प्रयास किये है। इस प्रकार उक्त पट्टे कपटपूर्ण कार्यवाही के जरिये प्राप्त किये हुए है, जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में यह भी बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 03 का लोहारों का बास गांव मणाई में रहवासीय मकान बना हुआ है जिसके लिए अप्रार्थी ने पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया, परन्तु ग्राम पंचायत की खाली आबादी भूमि में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया एवं ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध बिना किसी जांच पड़ताल के पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में कोई तारीख आज्ञासूचियों में अंकित नहीं है एवं न हस्ताक्षर है। इतना ही नहीं ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 20. 02.013 को इन पत्रावलियों का कोई इन्द्राज नहीं है सीधे दिनांक 20.06.2013 को पट्टा जारी करने सम्बन्धी इन्द्राज है इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने तमाम कार्यवाही एक ही दिन में पीछे की तारीखों में पत्रावलियों का संधारण करते हुए सम्पन्न की है। अप्रार्थी संख्या 03 व सरपंच ने मिलीभगत करते हुए ग्राम पंचायत को आर्थिक नुकसान पहुचांया है। जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया जिसके दोनों तरफ सड़क है तथा पास में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का कार्यालय एवं सब स्टेशन है जिससे उक्त बेहद किमती खाली भूखण्ड को केवल नीलामी के जरिये ही हस्तानान्तरित किया जा सकता है। जो कार्यवाही नहीं की गई। अतः प्रार्थी की उक्त निगरानियाँ स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा की गई तमाम कार्यवाही एवं पट्टा विलेख दिनांक 20.06.2013 को निरस्त किये जाने का आदेश दिया जाए।

अप्रार्थीगण संख्या 03 के अधिवक्ता श्री गोपालसिंह राजपुरोहित ने अपनी बहस में बतलाया कि निगरानीकार का निगरानी पेश करने का सवबने`जंदकंप क्या है व निगरानीकार के क्या हित प्रभावी हो रहे है ? अतः उक्त निगरानी प्रार्थी द्वारा मात्र अप्रार्थीगण संख्या 03 को परेशान करने की नियत से पेश की, जो खारिज योग्य है।

अप्रार्थीगण संख्या 03 के अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि ग्राम पंचायत मणाई के पट्टा विलेख के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा न्यायालय में निगरानी पेश की गई। उसके बाद में बदले की भावना से प्रार्थी ने यह निगरानियाँ पेश की है। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 03 के पास अन्य जायदाद है लेकिन प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी संख्या 03 के पास पहले से रहवासीय मकान है। उक्त निगरानीधीन पट्टे मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ में दर्ज प्रकरण में पूरी जांच के पश्चात जारी किये गये। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानियाँ सारहीन होने से निरस्त की जाये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:22 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभय पक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पंचायत कार्यालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा ग्राम पंचायत इन्द्रोका को रियायती दर से पट्टा देने का सादे कागज पर लिखकर पेश किया जिस पर पेश होने की तारीख अंकित नहीं है, न ही ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 148 के तहत आपत्तियाँ आमंत्रित करने का नोटिस दो प्रतियों में जारी किये गये। द्वितीयतः अप्रार्थी संख्या 03 आसूराम, पिनूदेवी, ईश्वरराम, भंवरलाल की पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नोटिस की दोनों प्रतियाँ पत्रावली में सलंग्न होने के पश्चात् भी कार्यालय प्रति पर चस्पा करने की रिपोर्ट की गई है अतः चस्पा करने की कार्यवाही विश्वसनीय नहीं है। आपत्तियाँ आमंत्रित करने की दोनों प्रतियां पत्रावली में ही सलंग्न है अतः ऐसी स्थिति में चस्पा करने की रिपोर्ट मान्य नहीं हो सकती है, नोटिस किस तारीख को जारी किये गये तारीख भी अंकित नहीं है। विवादित पट्टे की भूमि बाबत् निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण कब किया गया, दिनांक नहीं दर्शायी गई है, न कार्यवाही रजिस्टर में लिखा हुआ है।

ग्राम पंचायत इन्द्रोका द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 पंपूराम (08/2021), आसूराम (09/2021), कानाराम (10/2021), पिनूदेवी (11/2021), ईश्वरराम (12/2021) व भंवरलाल (13/2021) के पक्ष में पट्टा दिनांक 20.06.2013 को जारी करती है जबकि इन सभी व्यक्तियों द्वारा जो शपथ–पत्र दिये गये वो दिनांक 27.06.2013 का नोटेरी सुदा है।

पंचायत कार्यवाही रजिस्टर वर्ष 2013 का अवलोकन करने से पाया गया कि दिनांक 20.02.2013 को अप्रार्थी संख्या 03 से संबंधित पत्रावली संधारित की गई को ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही में नहीं ली गई जबकि संबंधित पत्रावलियों में दिनांक 20.02.2013 को सरपंच द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गई। निरीक्षण दल का गठन करने का निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा नहीं लिया गया। पंचायत बैठक कार्यवाही दिनांक 20.06.2013 के प्रस्ताव संख्या 07 के अनुसार निःशुल्क आवंटन करने का प्रस्ताव पारित किया गया परन्तु नियम 166 के अनुसार नियम 158 के अधीन भूमियों के आवंटन के किसी मूल आदेश की 30 दिवस के भीतर पंचायत समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है अतः दिनांक 20.06.2013 को निःशुल्क आवंटन प्रस्ताव लिया गया उसके पश्चात् कम से कम 30 दिवस के पश्चात ही नियम 167 के तहत पट्टा जारी किया जा सकता है जबकि अप्रार्थीगण संख्या 03 को पट्टे उसी दिन दिनांक 20.06.2013 को जारी किये गये। उपरोक्त बरती गई सभी अनियमितता से स्पष्ट होता है कि जारी आलौच्य पट्टे विधिवत् जारी नहीं किये गये अतः आलौच्य पट्टा संख्या 03 जो अप्रार्थी पंपूराम, पट्टा संख्या 04 जो अप्रार्थी आसुराम, पट्टा संख्या 05 जो अप्रार्थी कानाराम, पट्टा संख्या 06 जो अप्रार्थी पिनूदेवी, पट्टा संख्या 07 जो अप्रार्थी ईश्वरराम तथा पट्टा संख्या 08 जो अप्रार्थी भंवरलाल को ग्राम पंचायत इन्द्रोका द्वारा जारी किये गये को विधिसम्मत् नहीं होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त किये जाते है। प्रकरण सरपंच ग्राम पंचायत मणाई को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि अप्रार्थीगण संख्या 03 जो गाड़िया लोहार है उनकी पात्रता की जांच कर [illegible] के द्वारा पट्टा विलेख हेतु आवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत करने पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 व राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 की अक्षरशः पालना करते हुए उनका निस्तारण करें। आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:22 IST
Reason: SelfAttested